

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

✓ मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक: जी0ओ0-32/कार्य0/पेयजल/2007-08

दिनांक: 31, मार्च, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्रामीण पेयजल योजना (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-242/26-ब0प्र0 -2008-2(बजट)/2007टी0सी0-2 दिनांक 31-3-2008 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि में से रू0 80.00 (रू0 अस्सी करोड़ मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है। इस धनराशि में से रू0 751.95 लाख (रू0 सात करोड़ इक्यावन लाख पन्चानवे हजार मात्र) की धनराशि आपको इस आशय से आवंटित की जाती है कि धनराशि आहरित करके जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी तथा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये जनपदों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

क्रम सं0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3
1	गाजियाबाद	71.11
2	हरदोई	190.78
3	अम्बेडकर नगर	87.23
4	गोण्डा	61.16
5	बस्ती	66.18
6	संत कबीर नगर	46.52
7	आजमगढ़	182.56
8	सिद्धार्थ नगर	46.41
	योग	751.95


(सात करोड़ इक्यावन लाख पन्चानवे हजार मात्र)

2- उक्त आवंटन का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक -2215-जलपूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान-राज्य सहायता के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त आवंटन केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-114 पर अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 31.3.08
(मनोज कुमार सिंह)

आयुक्त,

ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।


2

पत्रांक: /कार्य0/पेयजल/2007-08 दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

- 8- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2 ।
10- संयुक्त सचिव, उ0प्र0शासन, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण को उनके आंबटन आदेश सं0 242 /26-ब0प्र0 -2008-2बजट/2007टी0सी0-2 दिनांक 31-3-2008 के संदर्भ में।


(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

२